



e-Stamp

Signature- *Anil Kumar Gupta*
ACC Name- Anil Kumar Gupta
ACC Code No.- UP14627704
ACC Address- Maliawan (Hardoi)
Mobile No.- 9838666824
License No.- 7/11/13

Certificate No.	: IN-UP00882564876728V
Certificate Issued Date	: 29-Aug-2023 03:09 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14627704/ BILGRAM/ UP-HRD
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1462770497344944521383V
Purchased by	: R A K COLLEGE OF PHARMACY
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	: 100 (One Hundred only)
First Party	: R A K COLLEGE OF PHARMACY
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: R A K COLLEGE OF PHARMACY
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Please write or type below this line



Anil Kumar Gupta

Anil Kumar Gupta

Summary Note:

1. This e-stamp as per Stamp certificate should be verified in www.uptaxstamp.gov.in using e-Stamping Machine App or Black Hacking App exclusively in accordance with the Certificate and its validation on the website/ Mobile app/ Applet, if needed.
2. The cost of obtaining the e-stamp is borne by the purchaser of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

1100110071002100

IN-UP00882564876728V

STATEMENT OF राजेश्वरी देवी कौल
WITNESSED BY श्री ३८८३
BY APPOINTMENT OF THE COURT
AT BILGRAM DISTT HARDOI U.P. INDIA
DATE 29/01/23
RESIDENT.....

श्री ३८८३
29/01/23

12-2-01

राजेश्वरी देवी



10/11/21

(घारूप - "अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी / ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

हम राजेश्वरी देवी एवं राकेश कुमार वर्मा क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव नवयुवक कल्याण सेवा संस्थान, ग्राम व पोस्ट गौसवा तहसील बिलगाम जिला हरदोई शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा आर०ए०के० कॉलेज ऑफ फार्मसी मन्सावां हरदोई नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाता प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम मन्सावां हरदोई में गाटा संख्या 345 क, 345 ख, 346 352 रकबा क्रमशः 0.1580, 0.0760, 0.6440, 0.5000 एवं कुल रकबा 1.5370 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा 345 क, 345 ख, 352, 346 एवं रकबा क्रमशः 0.1580, 0.0760, 0.6440, 0.5000 एवं कुल रकबा 1.5370 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 26-06-2021 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही पञ्जगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।



(Signature)

राजेश्वरी देवी

8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था अतिरिक्त किसी एवं पाठ्यक्रमों के अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्वास रुम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक वित्तीय एवं अर्थव्यवस्था स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का मलीभांति पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा भ्रष्टपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होंगा।

नाटस

ह० सचिव

17.12.21
 108, दुर्गा कालोनी रोड, गुरुदास
 गुरुदास, गुरुदास, गुरुदास

ह० अध्यक्ष

राजेश्वरी देवी

राजेश्वरी देवी के नाम पर
 108, दुर्गा कालोनी रोड, गुरुदास